Order Sheet (subsequent)

साहबलाल वगै० बनाम हनुमानलाल वगै०

क्लेम प्र० संख्या : 17 / 2023

Date	Order with initials of Presiding Officer
16.02.2026	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश नागर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–1 व 2 श्री कृष्णकांत शर्मा व अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 श्री बालमुकंद खण्डेलवाल उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 की ओर से फर्द के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल रहे। साक्ष्य अप्रार्थी क्रम–3 में गवाह एन.ए.डब्ल्यू.03..अमित कुमार मीणा के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 (बीमा कंपनी) ने जाहिर किया कि जिला परिवहन अधिकारी दूदू (जयपुर) का न्यायालय जारीशुदा सम्मन दस्ती प्राप्त किया जाकर बीमा कंपनी के जयपुर कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है, जहॉ से उक्त गवाह के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः गवाह को पेश किये जाने हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में जिला परिवहन अधिकारी दूदू (जयपुर) का जारीशुदा सम्मन बाद अथवा अदम तामील में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण लक्षित प्रकरणों में शुमार है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 (बीमा कंपनी) को अंतिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर भी प्रयास किये जाकर उक्त गवाह जिला परिवहन अधिकारी दूदू (जयपुर) को आइंदा पेशी पर साक्ष्य हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार सम्मन/साक्ष्य अप्रार्थी क्रम–3 दिनांक 23.02.2026 को पेश हो।
	सत्यनारायण टेलर न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बारां (राज.)
23.02.2026	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश नागर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–1 व 2 श्री कृष्णकांत शर्मा व अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 श्री बालमुकंद खण्डेलवाल उपस्थित। अप्रार्थी क्रम–3 की ओर से गवाह अनुपस्थित। अप्रार्थी क्रम–3 के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि वह अपने स्तर पर आदेशिका दिनांक 09.02.2026 से तलब किये गये गवाह को स्वयं ही पेश कर देंगे और यदि पेश नहीं कर पाते है तो वे अन्तिम बहस को तैयार रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से किये गये उक्त कथन के मद्देनजर अप्रार्थी संख्या 3 को न्यायहित में साक्ष्य का एक ओर अवसर दिया जाता है। आइंदा पेशी पर अप्रार्थी संख्या 3 की साक्ष्य नहीं आने पर अप्रार्थी क्रम–3 की साक्ष्य स्वतः बंद हो जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अप्रार्थी क्रम–3 हेतु दिनांक 26.02.2026 को पेश हो।

सत्यनारायण टेलर
न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, बारां (राज.)